भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2683

14 मार्च, 2016 को उत्तर के लिए

किसानों द्वारा हीरे का व्यापार

2683. श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डीः

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार ने इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि तेलंगाना के कुछ क्षेत्रों, जैसे महबूब नगर और आंध्र प्रदेश के कुरनूल और रायलसीमा क्षेत्रों में किम्बरलाइट के उच्च निक्षेपों के कारण मृदा की सतह पर हीरे अत्यंत समीप हैं और किसानों द्वारा आसानी से प्राप्त किए जा सकते है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसानों द्वारा विशेषतः मानसून के दौरान मिट्टी के बह जाने के बाद हीरे चुने जाते हैं और व्यापारियों या डीलरों को गैर-कानूनी व्यापार में अधिकांशतः अनुचित कीमत पर बेच दिए जाते है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन हीरों को किसानों से सीधे खरीदने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

<u>खान एवं इस्पात राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय)</u>

(क) से (ग) : भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के सर्वेक्षण के अनुसार, तेलंगाना के महबूबनगर जिले से रिपोर्ट की गई किंबरलाइट पाइपों और लैम्प्रोआइटस निकाय (हीरे की मूल स्रोत चट्टान) गैर-हीरामय लौह हैं । तथापि, आंध्र प्रदेश के करनूल और अनंतपुर (रायलसीमा) जिले से रिपोर्ट की गई बहुत कम हीरामय लौह हैं ।

प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा प्रतिकूल मौसम तथा स्थानीय मौसम के कारण, सतह के नज़दीक के पाइप क्षरित, नष्ट और साधारणतया बह जाते हैं । आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा यथासूचित, बारिश के पश्चात हीरा चुनना बहुत दुर्लभ घटना है । तथापि, करनुल जिले में किसानों के विरूद्ध दो मामले दर्ज़ किए गए । लेकिन अनंतपुर जिले में अब तक कोई भी मामला दर्ज नहीं हुआ है ।

(घ) : सरकार का अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

*****